2023/123

24/5/2023
मोतियाणी

बोकी रजिस्टरी, मांबवनक ⑬ 230219
ता. पेकी रजि

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	98/2023	8/5/2023		
111-128 प्रार्थना पत्र	98/23	8/5/23		

अनवान

श्री देऊ देवी ज्यो॰ प्रमोद मीणा श्री कैलाश स्व॰ नारायण मीणा वगैरह

निवासी जालिन्दी निवासी केदु बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार   रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री रामफूल धाकड़ श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 38/23 तारीख 8/6/23

देऊदेवी पत्नि प्रमोद कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

01. कैलाश पुत्र नारायण जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. जयनारायण पुत्र रामनारायण जाति सनाढ्य उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. राम पुत्र रामनारायण जाति सनाढ्य उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 24/8/23

प्रार्थना पत्र **देऊदेवी पत्नि प्रमोद कुमार जाति मीणा निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 202 पर अंकित आराजी संख्या 54, 55, 68, 69, 70, 163/53 कुल किता 06 रकबा 15–11 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 202 पर अंकित आराजी संख्या 54, 55, 68, 69, 70, 163/53 कुल किता 06 रकबा 15–11 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 98/23

तारीख 24/5/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....98........../ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

देऊदेवी पत्नि प्रमोद कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थीया

बनाम

01. कैलाश पुत्र नारायण जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. जयनारायण पुत्र रामनारायण जाति सनाढ्य उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. राम पुत्र रामनारायण जाति सनाढ्य उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 202 पर अंकित आराजी संख्या 54, 55, 68, 69, 70, 163/53 कुल किता 06 रकबा 15–11 बीघा भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/–तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां जिला भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा